मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

संख्या–डीजी–परिपत्र– 49 /2013 दिनांक : लखनऊ : अगस्त 29 ,,2013

सेवा में,

1–समस्त पुलिस महानिरीक्षक,जोन्स्, उत्तर प्रदेश ।

2–समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र, उत्तर प्रदेश

3–समस्त जनपदीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/शाखा/इकाई प्रभारी,
उत्तर प्रदेश ।

बिषयः– **कान्स0ना0पु0 से हेड़ कान्स0ना0पु0 के पद पर वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति प्रदान किये जाने के संबंध में वर्ष 1997 तक भर्ती पुलिस कर्मियों की चरित्र पंजिकाओं/ सेवा अभिलेखों को त्रुटिरहित उपलब्ध कराये जाने के संबंध में**

ज्ञातव्य है कि आरक्षी से मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर वरिष्ठता के आधार पर अनुपयुक्तों को छोड़ते हुए, प्रोन्नति प्रदान किये जाने की प्रकिया को प्राथमिकता के आधार पर सम्पन्न कराया जाना है। **उपरोक्तानुसार वरिष्ठता के अधार पर अनुपयुक्तों को छोड़ते हुए पदोन्नति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित पुलिस कर्मियों की चरित्र पंजिकाओं का अद्यावधिक होना अपरिहार्य है ।** अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण सूचनाओं के परिणामस्वरूप इस बात की सम्भावना रहती है कि उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कुछ कर्मियों के संबंध में प्रोन्नति प्रदान किये जाने पर विचार नही किया जा सकता अथवा कुछ कर्मियों की पदोन्नति के संबंध में चयन समिति की संस्तुति बन्द लिफाफे में अकारण रखी ही जाती है। आप सभी सहमत होंगे कि यदि प्रोन्नति के पात्र होते हुये भी किसी कर्मी को प्रोन्नति नही मिलती है अथवा विलम्ब से मिलती है तो इससे उसके मनोबल पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

2– **उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत वर्तमान में आरक्षी से मुख्य आरक्षी के पदों पर प्रोन्नति प्रक्रिया के त्रुटिरहित निष्पादन के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि सभी सम्बन्धित पुलिस कर्मियों की चरित्र पंजिकाओं का गहनता से पुनरीक्षण करते हुए यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि सभी कर्मियों की चरित्र पंजिकाओं की सभी प्रविष्टि अद्यावधिक कर दी गई हैं तथा साथ ही नामिनल रोल सिस्टम में भी सभी प्रविष्टियॉ फीड कर दी गई हैं।**

3– अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि जनपद/इकाई स्तर पर अपर पुलिस अधीक्षक प्रभारी कार्यालय के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर दिया जाये तथा उसमें प्रधान लिपिक एवं सम्बन्धित चरित्र पंजिका लिपिक तथा अन्य उपयुक्त कम्प्यूटर कार्य के दक्ष कर्मचारियों को नियुक्त कर निम्नवत् सभी विन्दुओं पर वांछित अद्यावधिक सूचनाएं प्राथमिकता के आधार पर चरित्र पंजिकाओं में तथा नामिनल रोल सिस्टम में अंकित कराना सुनिश्चित करें :–

वार्षिक मन्तव्य–

1– कर्मियों के सेवा अभिलेखों में सम्पूर्ण सेवाकाल के वार्षिक मन्तव्यों की प्रविष्टि करना।

2– कर्मियों के प्रतिकूल मन्तब्य अंकित किये जाने का नोटिस निर्गत करने की तिथि का उल्लेख चरित्र पंजिका में अंकित किया जाय, तथा यदि नोटिस न दिया गया हो तो तत्काल नोटिस निर्गत कर अग्रिम कार्यवाही पूर्ण करायें। यदि इस सम्बन्ध में मा0 न्यायालय या मा0 अधिकरण द्वारा कोई स्थगनादेश अथवा निर्णय दिया गया हो तो उसका अंकन चरित्र पंजिका में करते हुए इसकी प्रमाणित प्रति चरित्र पंजिका में चस्पा की जाय ।

3–कर्मियों के वार्षिक मनतब्यों के कतिपय कारणों से समय से अंकित न होने की दशा में सामान्य होने की मोहर लगाकर प्रेषित किया जाता है जो उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा मान्य नही है। अतः इस प्रकार सामान्य की मोहर लगाकर चरित्र पंजिका नहीं प्रेषित किया जाये ।

4– कर्मियों के वार्षिक मनतब्य न लिखे होने की दशा में शासनादेश संख्याः 36/8/1976–कार्मिक–2 दिनांक 30 अप्रैल, 1991 के अनुसार ब्लैंक की मोहर लगाकर वार्षिक मनतब्य प्रेषित किये जाते हैं । दो वर्ष से अधिक वर्षो में ब्लैंक की मोहर लगाकर प्रेषित करना नही मान्य होगा। अतः दो वर्षो से ज्यादा में ब्लैंक की मोहर न लगाई जाय।

5–यदि अपरिहार्य कारणों से किसी वर्ष के वार्षिक मन्तव्य न लिखा जा पा रहा तो उस वर्ष के सम्बन्ध मे निम्न 07 बिन्दुओं पर सूचना चरित्र पंजिका में अंकित किया जायेः–

(1) उपरोक्त वर्षो में उक्त कर्मी की सेवा की निरन्तरता का प्रमाण पत्र । इस सम्बन्ध में यह प्रमाणित करना है कि उपरोक़्त वर्षो में यह निरन्तर सेवा में रहे हैं या सेवा से विरत अथवा गैरहाजिर तो नहीं रहे हैं ।

(2) उपरोक्त वर्षो मे उक्त कर्मियों को कोई प्रतिकूल तथ्य, सत्यनिष्ठा, निलम्बन एवं 14(1), 14(2) के अन्तर्गत कोई दण्ड मिला हो या मिले हो तो उनका विवरण तथा जिस घटना के सम्बन्ध मे दण्ड मिला हो तो उस घटना का दिनांक। **जैसे**–किसी कर्मी को 2005 की घटना के लिये वर्ष–2008 मे दण्ड मिला हो तो दोनो दिनांक अंकित करते हुये यह स्पष्ट किया जाये कि वर्ष 2005 की घटना के लिये वर्ष–2008 मे दण्ड मिला है ।

(3) उपरोक्त वर्षो में उक्त कर्मी के विरूद्ध कोई मुकदमा पंजीकृत तो नहीं हुआ है। यदि पंजीकृत हुआ है तो उस मुकदमें की अभी वर्तमान में क्या स्थिति है (क्या वह विवेचनाधीन है, क्या अन्तिम रिपोर्ट लगी है? क्या इसमें आरोप पत्र निर्गत होकर माननीय न्यायालय में विचाराधीन है? या विचारण होकर ट्रायल पर आया है, अथवा माननीय न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया है या सजा की गई है) स्पष्ट रूप से अंकित करें तथा मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश अथवा निर्णय की प्रमाणित छायाप्रति भी प्राप्त कर चरित्र पंजिका में चस्पा की जाय।

सत्यनिष्ठा–

कर्मियों की सत्यनिष्ठा रोके जाने का नोटिस निर्गत करने की तिथि का उल्लेख चरित्र पंजिका में अंकित किया जाय तथा यदि नोटिस न दिया गया हो तो तत्काल नोटिस निर्गत कर अग्रिम कार्यवाही पूर्ण करायें। यदि इस सम्बन्ध में मा0 न्यायालय या मा0 अधिकरण द्वारा कोई स्थगनादेश अथवा निर्णय दिया गया हो तो उसका अंकन चरित्र पंजिका करते हुए इसकी प्रमाणित प्रति चरित्र पंजिका में चस्पा की जाय ।

दण्ड, अपील एवं रिवीजन –

1–कर्मियों को 14(1) अथवा 14(2) के अर्न्तगत प्रदत्त दण्ड़ का उद्धरण चरित्र पंजिका में अंकित करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि जिस घटना के संबंध में दण्ड़ प्रदान किया गया है उसके घटित होने की तिथि अथवा अवधि उद्धरण में अवश्य अंकित हो ।

2–कर्मियों को दिये गये दण्ड के बिरूद्ध योजित अपील तथा रिवीजन में पारित निर्णय अथवा उनके विचाराधीन होने का स्पष्ट अंकन किया जाये। यदि अपील अथवा रिवीजन में पारित आदेश के कारण दण्ड विलोपित किया जाता है तो उसको राजपत्रित अधिकारी द्वारा अवश्य प्रमाणित किया गया हो।

3–कर्मियों को प्रदत्त दण्ड के बिरूद्ध यदि मा0 लोक सेवा अधिकरण अथवा मा0 न्यायालय द्वारा दण्ड के संबंध में पारित स्थगनादेश अथवा निर्णय का स्पष्ट उल्लेख उसकी चरित्र पंजिका में किया जाय तथा आदेश की प्रति चरित्र पंजिका में चस्पा की जाय।

निलम्बन–

1–कर्मियों के निलम्बन व उनके निस्तारण का स्पष्ट उल्लेख चरित्र पंजिका मे किया जाये ।
2–कई कर्मियों की चरित्र पंजिकाओं में उनके विरूद्ध आपराधिक अभियोग पंजीकृत होने के कारण निलम्बित किया जाना अंकित किया जाता है परन्तु उक्त अभियोग के सम्बन्ध में अन्य कोई विवरण चरित्र पंजिका में उपलब्ध नहीं होता है। अतः यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि यदि कोई कर्मी अभियोग पंजीकृत होने के कारण वर्तमान में अथवा पूर्व में निलम्बित किया गया है तो चरित्र पंजिका के किसी खाली पृष्ठ पर उस अभियोग के सम्बन्ध में अद्यावधिक सूचना अवश्य अंकित की जाय और चरित्र पंजिका में निलम्बन के विवरण के सम्मुख अभियोग की अद्यावधिक सूचना से सम्बन्धित पृष्ठ संख्या को अंकित कर दिया जाय।

अपराध–

कर्मियों के सेवा अभिलेखों में उनके बिरूद्ध पंजीकृत सभी अभियोगों का स्पष्ट अंकन किया जाय। विशेष रूप से यह स्पष्ट किया जाये कि क्या पंजीकृत अभियोग मे आरोप पत्र प्रेषित किया गया है अथवा नहीं, यदि आरोप पत्र प्रेषित है तो आरोप पत्र प्रेषित करने की तिथि तथा आरोप पत्र संख्या को चरित्र पंजिका में अंकित किया जाये। यदि अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गई है तो उसकी संख्या तथा दिनांक एवं मा0 न्यायालय द्वारा स्वीकृत करने की तिथि तथा उस आदेश की प्रमाणित छायाप्रति चरित्र पंजिका में अंकित और चस्पा की जाय। मा0 न्यायालय में विचाराधीन अभियोग मे यदि कोई कर्मी दोषमुक्त किया गया हो तो उस आदेश की प्रमाणित प्रति भी चरित्र पंजिका मे संलग्न की जाये व उसका स्पष्ट अंकन चरित्र पंजिका में किया जाये। यदि मा0 न्यायालय मे विचाराधीन अभियोग मे कोई कर्मी को दोष सिद्व किया गया हो तो उसका भी स्पष्ट अंकन किया जाय तथा मा0 न्यायालय की आदेश की प्रमाणित प्रति भी चरित्र पंजिका मे चस्पा कर दी जाये। सम्प्रति कर्मियों के विरूद्ध सभी अभियोगों की अद्यतन स्थिति चरित्र पंजिका में अंकित की जाये जिससे कर्मियों के संम्बन्ध में चयन समिति द्वारा सही निर्णय लिया जा सके।

4– ऐसे कर्मियों की सूची तैयार कर लें जिनकी चरित्र पंजिका जनपद में प्राप्त नही है अथवा खो गई है और डुप्लीकेट चरित्र पंजिका तैयार की जा रही है या डुप्लीकेट चरित्र पंजिका तैयार की गई हो। इस कम में सुनिश्चित कर लिया जाय कि डुप्लीकेट चरित्र पंजिका में सम्बन्धित कर्मी के वर्ष 1990 से अब तक के सभी वार्षिक मन्तव्य, दीर्घ, लघु अथवा छुद्र दण्डों सहित अपराध, निलम्बन तथा सेवा की निरन्तरता का उल्लेख कर दिया गया है । दण्डों के सम्बन्ध में की गई अपील तथा रिवीजन की अद्यावधिक स्थिति भी स्पष्ट की जाय । **इस कार्य का अनुश्रवण प्रतिदिन जनपदीय/इकाई प्रभारी द्वारा किया जाय तथा समस्त अपेक्षित कार्यवाही 15 सितम्बर, 2013 तक पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय** ।

5– राज्याधीन सरकारी सेवा में सेवारत कार्मिकों की प्रोन्नतियों के लिए होने वाले चुनावों में बन्द लिफाफे की कार्यवाही विषयक शासनादेश संख्या–13/21/89–का–1–1997 दिनांक 28–05–1997 के खण्ड–2 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निम्नलिखित परिस्थितियों की स्पष्ट सूचना उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा जारी प्रपत्र–3 मे अंकित किया जाये :–

1– यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है ।
2– यदि कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिए आरोप पत्र जारी किया जा चुका है ।
3–यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है ।

6– विदित हो कि अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस कर्मियों की चरित्र पंजिकाएं अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण होने के कारण प्रोन्नति प्रकिया बाधित होती है। अतः समस्त को निर्देशित किया जाता है कि उक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुये 1970 से 1997 भर्ती वर्ष तक के आरक्षियों की चरित्र पंजिकायें पूर्ण करा ली जाय तथा उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा जारी बोर्ड प्रपत्र–3, में अग्रि सावधानीपूर्वक समस्त सूचनायें अंकित की जाय। इस कार्य को **30 सितम्बर, 2013 तक त्रुटिविहीन**

रूप से पूर्ण कराये जाने का व्यक्तिगत दायित्व जनपदीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक व इकाई/शाखा प्रभारी के साथ–साथ अपर पुलिस अधीक्षक, प्रभारी कार्यालय का होगा तथा इसमें किसी प्रकार की त्रुटि प्रकाश में आने पर संबंधित जनपद/इकाई के अपर पुलिस अधीक्षक प्रभारी कार्यालय के बिरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। समस्त विभागाध्यक्ष, पुलिस महानिरीक्षक जोन एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक, परिक्षेत्र अपने अधीनस्थ जनपदों/इकाईयों में इस कार्य की प्रगति को प्रत्येक सप्ताह अनुश्रवण करेंगे और इसको 30 सितम्बर 2013 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण करायेंगे।

(देवराज नागर) 29.8.13
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश ।

प्रतिलिपिः–कृपया निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही समयान्तर्गत सुनिश्चित कराये जाने हेतु प्रेषित है :–

1–पुलिस महानिदेशक,प्रशिक्षण, खाद्यय प्रकोष्ठ, आवास निगम, सहकारिता प्रकोष्ठ, रेलवे, मानवाधिकार, तकनीकी सेवायें, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,लखनऊ,उत्तर प्रदेश।

2–अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक, सीबीसीसीआईडी, यातायात, भ्रष्टाचार ,विशेष जॉच, पीसीएल, सतर्कता, सुरक्षा, उत्तर प्रदेश।

3–पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस महानिदेशक के सहायक,उत्तर प्रदेश ।

4–पुलिस उपमहानिरीक्षक(स्थापना)उ0प्र0पुलिस मुख्यालय,इलाहाबाद।